

भारत गणराज्य की सरकार और झूबा गणराज्य की सरकार  
के बीच सांस्कृतिक करार

- - -

भारत गणराज्य की सरकार और झूबा गणराज्य की  
सरकार,

घनिष्ठतर सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित एवं विकसित करने  
की सामान्य इच्छा से प्रेरित होकर, और

भारत तथा झूबा के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल  
और सूचना तथा शिक्षा के जन-साधनों के क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यकलाप  
सहित, कला, संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्रों में सम्बन्धों और सद्भावना  
की हर सम्भव तरीके से, संप्रवर्तित और विकसित करने की इच्छा  
से,

निम्नलिखित करार करने के लिए सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद - 1

- - - - -

संविदाकारी पक्षकार, कला और संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान  
और प्रौद्योगिकी, सूचना और शिक्षा के जन-साधनों, खेल और  
पत्रकारिता के क्षेत्रों में सहकारिता को सुकर बनाएंगे और प्रोत्साहित  
करेंगे ताकि वे इन क्षेत्रों में अपनी-अपनी संस्कृति और कार्यकलापों की  
बेहतर जानकारी के लिए योगदान कर सकें ।

अनुच्छेद - 2

- - - - -

संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित को प्रोत्साहित करेंगे  
और सुकर बनाएंगे :

- (क) लेखर देने, अध्ययन-भ्रमण और विशेष कार्यक्रम  
संचालित करने के लिए प्रोफेसरों और विशेषज्ञों  
का पारस्परिक आवागमन ;
- (ख) शैक्षिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, खेल  
और पत्रकारिता संघों तथा संगठनों के प्रतिनिधियों  
का पारस्परिक आवागमन ;

- (ग) संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा, खेल के क्षेत्रों में सामग्री का आदान-प्रदान, पुस्तकें, पत्रिकाओं और अन्य शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और खेल प्रकाशनों का अनुवाद और आदान-प्रदान और जहाँ कहीं संभव हो, कला के नमूनों का आदान-प्रदान; और
- (घ) पुरातत्वज्ञों द्वारा एक देश से दूसरे देश के भ्रमण के लिए पारस्परिक सुविधाएँ प्रदान करना जिससे कि वे खुदाई-कार्य और साथ ही पुरातत्वीय-खोज की वस्तुओं के परिरक्षण और प्रदर्शन का अनुभव प्राप्त कर सकें और साथ ही प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए तथा नमूनों अथवा प्रतिमूर्तियों के विनिमय के सम्बन्ध में भी पारस्परिक सुविधाएँ प्रदान करना ।

अनुच्छेद - 3

प्रत्येक सँविदाकारी पक्षकार, दूसरे देश के कार्यों और वैज्ञानिक कार्मिकों को, जो उसकी उच्च शिक्षा की संस्थाओं और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अध्ययन करना चाहें, सुविधाएँ और वात्रवृत्तियाँ प्रदान करने का प्रयास करेगा ।

अनुच्छेद - 4

प्रत्येक सँविदाकारी पक्षकार उन शर्तों की जाँच करने का वचन देता है, जिनके अन्तर्गत दूसरे देश में प्रदान किए गए डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों और विश्वविद्यालय की डिग्रियों को उसकी अपनी शैक्षिक तथा अन्य संस्थाओं में अध्ययन के प्रयोजन के लिए मान्यता दी जा सकती है ।

अनुच्छेद - 5

प्रत्येक सँविदाकारी पक्षकार, सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन तथा प्रेस के माध्यम से अन्य पक्षकार के जीवन तथा संस्कृति के

विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षकार उपर्युक्त सामग्री तथा कार्यक्रमों का विनिमय करेंगे ।

अनुच्छेद - 6

संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित बातों को सुकर बनाएंगे तथा संप्रवर्तित करेंगे :

- (क) कलाकारों, नृत्य और संगीत मण्डलियों का विनिमय ;
- (ख) कला तथा अन्य प्रदर्शनियों का विनिमय ;
- (ग) फिल्मों, वृत्तचित्रों, रेडियो और टेलीविजन तथा फिल्म समाचार कार्यक्रमों, डिस्क तथा टेप पर संगीत रिकार्डिंग का विनिमय ; और
- (घ) एक दूसरे के देश में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सभाओं, सम्मेलनों तथा समारोहों में भाग लेना ।

अनुच्छेद - 7

संविदाकारी पक्षकार दोनों देशों के बीच खेल टीमों के दौरों को प्रोत्साहित करेंगे ।

अनुच्छेद - 8

संविदाकारी पक्षकार, यथासम्भव, यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी शैक्षिक संस्थाओं के लिए निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों में, विशेषतः इतिहास और भूगोल से संबंधित पाठ्य-पुस्तकों में एक दूसरे के देश के बारे में कोई त्रुटि या तथ्यों का मिथ्या वर्णन न हो ।

अनुच्छेद - 9

वर्तमान करार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जब भी आवश्यक समझा जाये, संविदाकारी पक्षकारों द्वारा संयुक्त समिति स्थापित की जा सकती है, जिसमें दोनों सरकारों के प्रतिनिधि

समान संख्या में शामिल होंगे, जिसकी बैठक किसी भी संविदाकारी पक्षकार के अनुरोध पर और संविदाकारी पक्षकारों के बीच हुई सहमति के अनुसार, बारी-बारी से नई दिल्ली तथा हवाना में होगी ।

संयुक्त समिति वर्तमान करार के कार्यकरण का आवधिक पुनर्विलोकन करने, इस करार में परिलक्षित क्षेत्रों में, किसी भी ऐसी मद की, जिसमें कोई भी पक्षकार हितबद्ध हो, तैयार करने और सिफरिश करने में संबंधित सरकार की सलाह देने तथा करार के कार्यकरण को सुधारने के तरीके के बारे में सलाह देने के लिए भी जिम्मेदार होगी ।

अनुच्छेद - 10

वर्तमान करार अनुसमर्थन- लिखितों के विनियम की तारीख से लागू होगा । यह पांच वर्ष तक लागू रहेगा और उसके बाद, हर बार पांच वर्षों की और अधिक अवधि के लिए यह स्वतः ही नवीकृत हो जाएगा जब तक कि कोई भी संविदाकारी पक्षकार अन्य पक्षकार को वर्तमान करार को अवसित करने के अपने आशय की लिखित रूप में छः महीने की पूर्व सूचना न दे ।

साक्ष्यस्वरूप, संविदाकारी पक्षकारों के यथा-प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किये हैं और उस पर अपनी-अपनी मीहरें लगाई हैं ।

नई दिल्ली में आषाढ़, 1898 (शब्) के तीसवें दिन, तदनुसार जुलाई, 1976 के इक्कीसवें दिन छः मूल प्रतियों में, हिन्दी, स्पेनिश और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो

प्रतियों में किया गया । सभी पाठ समानतः प्रमाणित होंगे किन्तु  
सन्देह की दशा में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा ।

भारत गणराज्य की सरकार  
की ओर से



( कै० एन० चन्दा )

सचिव, शिक्षा, समाज कल्याण  
और संस्कृति मंत्रालय

क्यूबा गणराज्य की सरकार  
की ओर से



( जोसे लोपेज़ सेनकेल )

असाधारण राजदूत और  
पूर्णाधिकारी

CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF CUBA

---

The Government of the Republic of India and the  
Government of the Republic of Cuba,

INSPIRED BY a common desire to establish and  
develop closer cultural relations, and

DESIROUS OF promoting and developing in every  
possible manner the relations and understanding  
between India and Cuba in the realms of art, culture,  
education, including academic activity in the fields  
of science and technology, sports and mass media of  
information and education.

HAVE AGREED to conclude the following Agreement :

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall facilitate and  
encourage cooperation in the fields of art and culture,  
education, science and technology, mass media of  
information and education, sports and games and  
journalism in order to contribute towards a better  
knowledge of their respective cultures and activi-  
ties in these fields.

ARTICLE 2

The Contracting Parties shall encourage and  
facilitate :-

- a) reciprocal visits of professors and experts  
for delivering lectures, study tours and  
conducting special courses;
- b) reciprocal visits of representatives of  
educational, literary, scientific,  
artistic, sports and journalists'  
associations and organisations.

ARTICLE 6

The Contracting Parties shall facilitate and promote :

- a) exchange of artists, and dance and music ensembles;
- b) exchange of art and other exhibitions;
- c) exchange of films, documentaries, radio and television and film news programmes, musical recordings on discs and tapes; and
- d) participation in International congresses, conferences and events held in either country.

ARTICLE 7

The Contracting Parties shall encourage visits of sports teams between the two countries.

ARTICLE 8

The Contracting Parties shall, to the extent possible, ensure that text-books prescribed for their educational institutions, particularly those relating to History and Geography, do not contain any error or misrepresentation of facts about each other's country.

ARTICLE 9

For the fulfilment of the objectives of the present Agreement, a Joint Committee may be established by the Contracting Parties as and when considered necessary, consisting of an equal number of representatives of the two Governments, which shall meet as agreed upon between the Contracting Parties at the request of either of them, alternately in Havana and New Delhi.

The Joint Committee will be responsible for reviewing periodically the working of the present

Agreement, advising the Government concerned in formulating and recommending any item of interest to either Party in the fields envisaged in the present Agreement, as also advising the manner in which the working of the Agreement may be improved upon.

ARTICLE 10

The present Agreement shall come into force on the date of the exchange of the Instruments of Ratification. It shall remain in force for a period of five years and shall be renewed automatically thereafter for further periods of five years each until either Contracting Party gives to the other a six months' prior written notice of its intention to terminate the present Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the duly authorised representatives of the Contracting Parties sign the present Agreement and affix their seals thereto.


DONE at New Delhi this thirtieth day of Asadha 1898 (Saka) corresponding to the twenty first day of July, 1976 (A.D) in six originals, two each in Hindi, Spanish and English languages, all the texts being equally authentic except that in case of doubt when the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDIA



(K.N.Channa)  
Secretary,  
Ministry of Education,  
Social Welfare and  
Culture

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF CUBA



( Dr. Jose Lopez Sanchez )  
Ambassador Extraordinary  
and Plenipotentiary